

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या : वर्ष, 2021)

उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या: 06 वर्ष 2020) (समय-समय पर यथासंशोधित) को निरसित करने के लिये तथा संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939(उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त)(समय-समय पर यथासंशोधित) को पुनर्जीवित करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

- | | | |
|--|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) अधिनियम, 2021 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। |
| उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2020 का निरसन | 2. | उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन अधिनियम, 2019 (अधिनियम संख्या : 06 वर्ष 2020) को एतद्वारा निरसित किया जाता है। |
| निरसित अधिनियम का पुनर्जीवन | 3. | संयुक्त प्रान्त श्री बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम, 1939 (अधिनियम संख्या 16 वर्ष 1939) को एतद्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। |
| निरसन और व्यावृत्तियां | 4. | ऐसे निरसन के होते हुए भी—
(क) निरसित अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी या किसी अधिकारी द्वारा सभी नियम, उपविधियां, बनाये गये विनियम, अधिसूचना या जारी प्रमाण पत्र, पारित आदेश, किए गये निर्णय, की गयी कार्रवाई और अन्य बातें जहां तक वह इस अधिनियम के असंगत न हों, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन समुचित प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा जारी, पारित या किये गये समझे जायेंगे और तदनुसार जब तक अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन्हें संशोधित, निरसित या निलंबित न किया जाय, प्रभावी रहेंगे।
(ख) इस अधिनियम के प्रारम्भ पर निरसित अधिनियम के उपबंधों के |

अधीन सरकार, किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष समस्त लंबित कार्यवाहियां जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

**THE UTTARAKHAND CHAR DHAM DEVASTHANAM MANAGEMENT(REPEAL) BILL,
2021**

(UTTARAKHAND BILL NO: OF, 2021)

**A
BILL**

to repeal the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act 2019 (Act No. 06 of 2020) (as amended from time to time) and revival of the United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939(as applicable in the state of Uttarakhand) (as amended from time to time).

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the seventy second year of the Republic of India as follows –

- | | | |
|---|----|---|
| Short title,
and
commencement | 1. | (1) This Act may be called the Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management(Repeal) Act, 2021
(2) It shall come into force at once. |
| Repeal of
Uttarakhand Act
No. 06 of 2020 | 2 | The Uttarakhand Char Dham Devasthanam Management Act, 2019 (Act No. 06 of 2020) is hereby repealed. |
| Revival of
repealed
Act | 3. | The United Provinces Shri Badrinath Temple Act, 1939 (U.P Act No. XVI of 1939) is hereby revived. |
| Repeals and
savings | 4. | Notwithstanding such repeal,
(a) All rules, bye-laws, regulations made, notification or certificate issued, order passed, decision made, proceeding taken and other things done by any authority or officer under the repealed Acts shall in so far as they are not inconsistent with this Act be deemed to have been made, issued, passed or done by the appropriate authority or officer under the corresponding provision of this Act and shall have effect accordingly, until they are amend, repeal or suspended under the provision of the Act.

(b) All proceedings pending before the Government any officer or authority under the provisions of the repealed Act at the commencement of this Act may in so far as they are not |

inconsistent with the provisions of this Act, be disposed regularly by the appropriate authority under this Act.

विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजित ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा "उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021" को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2-प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

सतपाल महाराज
मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक द्वारा "उत्तराखण्ड चार धाम देवस्थानम् प्रबन्धन (निरसन) विधेयक, 2021" को अधिनियमित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि में कोई आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय अंतर्निहित नहीं है।

सतपाल महाराज
मंत्री।